Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to amend laws relating to bail for minor offences/petty crimes.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । आज मैं देश के लाखों गरीब लोगों की एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । उनके पास कोई जमीन नहीं है, भूमिहीन हैं, गृह विहीन भी हैं, उनके पास कोई घर नहीं है । उनके पास न 2 चक्के या 4 चक्के की सवारी है । ऐसे लाखों लोग देश भर की विभिन्न जेलों में कैदी के रूप में बंद हैं । वे छोटे-मोटे अपराध में जेलों में बंद हैं । जिन मुकदमों में 7 साल से कम की भी सजा है और जो जमानतीय धारायें हैं, उनमें ऐसे लोग बंद हैं । बहुत बार न्यायालय से उनको जमानत भी मिल जाती है या उनकी सजा पूरी हो जाती है ।

लेकिन चूंकि उनके पास जमानत के लिए लगान रसीद या चार चक्के की सवारी का ऑनरशिप नहीं होता, वैसे लोगों को जमानत मिलने के बाद भी जेल से छूटने में परेशानी होती है, कानून में ऐसा प्रावधान है कि मुश्किल होती है ।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में लाखों ऐसे गरीब लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, जिसे वह जमानत के रूप में प्रस्तुत कर सके ।

चूंकि आप जानते हैं कि जेल से छूटने के लिए बेलर चाहिए । कोई उनका बेलर बनने के लिए तैयार नहीं होता, दूसरा कोई व्यक्ति अपनी जमीन का रसीद या जमानतदार बनने के लिए तैयार नहीं होता । यदि कानून में बदलाव करना आवश्यक हो तो बदलाव करना चाहिए । छोटे-मोटे अपराध जैसे किसी से कोई एक्सिडेंट हो गया, किसी ने छोटी-मोटी चोरी की, झड़प या बाता- बाती हो गई, 323 या 324 का केस है जो कि बेलबल ऑफेन्से है और हेनस क्राइम की श्रेणी में

नहीं आता है । ऐसे गरीब लोगों की जमानत हो सके और वे जेल से छूट सकें इसलिए कानून में बदलाव किया जाना चाहिए । ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे छोटे-मोटे अपराध में जेल में बंद व्यक्ति बाहर निकल सकें ।

धन्यवाद ।